राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1172/2025

सीमा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सतीश बलवदा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/24 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण एसडीएच फतेहपुर, सीकर से एमडीएम चिकित्सालय जोधपुर में किया गया है और आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/30 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण एसडीएच फतेहपुर, सीकर से उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश क्रमांक 24 एवं 30 पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी को दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरित किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) दोनों आदेशों में नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का एक ही स्थान से दो स्थानांतरण आदेशों के द्वारा दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
(सदस्य)